(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1461–दो/2008 विरूद्ध आदेश, दिनाक 28–8–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 191/04–05 अपील.

1 रामदास, रम्पे तनय दुर्गा ढीमर निवासी
बहारूताल तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
2 नत्थू तनय हीरा ढीमर निवासी ग्राम बहारूताल
तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
3 कल्लू तनय भग्गू ढीमर निवासी ग्राम बहारूताल
तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
4 प्रेम बालू, विन्दा, कस्तन तनय सुखलाल ढीमर
निवासी ग्राम बहारूताल तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
5 भरोसी, बालकिशन, रामरतन तनय धनुवा ढीमर
सभी निवासी ग्राम बहारूताल
तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1 मध्य प्रदेश शासन
2 हीरा, कैलाश, प्रदीप तनय नारायणदास गुप्ता
निवासी जतारा
3 मनमोहन तनय भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी
द्वारा श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मन जी महाराज
ब्रजभान जतारा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

–प्रत्यर्थीगण

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री एस0 पी0 धाकड, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 3
श्री डी0 के0 शुक्ला, अभिभाषक प्रत्यर्थी कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4–4–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के द्वारा प्रकरण कमांक 191/04–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 27–6–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जतारा में स्थित श्री ठाकुर लक्ष्मण जी मंदीर जतारा की भूमि सर्वे कमांक 1459/1/3 रकबा 3.197 हैक्टेयर जिसके प्रबंधक कलेक्टर टीकमगढ़ है, पर निगरानीकर्तागण एवं गैर निगरानीकर्ता कमांक 2 द्वारा अतिकमण किये जाने के फलस्वरूप तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण कमांक 448/03–04/अ–68 में पारित आदेश दिनांक 26–8–2004 से निगरानीकर्तागण व गैरनिगरानीकर्ता कमांक 2 पर 1000/– 1000/ रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर विवादित भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार, जतारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–8–2004 से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के समक्ष प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी, जतारा द्वारा प्रकरण कमांक 01/2004–05/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 25–10–2004 से निगरानीकर्तागण के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही करते हुये अपील निरस्त कर दी गयी । निगरानीकर्तागण के द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त आयुक्त, सागर संभाग सागर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 191/04–05/अपील पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 27–6–2006 से निरस्त की गयी । परिणामतः निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का समग्र रूप से परिशीलन किया गया ।

4/ अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि ग्राम जतारा में स्थित ठाकुर लक्ष्मण जी विराजमान मंदिर की भूमि पर निगरानीकर्तागण के द्वारा अतिक्रमण कर लेने के कारण मंदिर के पुजारी श्री मनमोहन द्वारा तहसीलदार जतारा को शिकायत की गयी थी, जिस पर से तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण प्रांरभ किया गया । तहसीलदार जतारा द्वारा जांच कराने के बाद पाया कि मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रामकों को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाब भी निगरानीकर्तागण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया था । तहसीलदार जतारा द्वारा दिनांक 26–8–2004 से अतिक्रामकों पर 1000/– 1000/– रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर भूमि पर बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी जतारा एवं अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा उक्त आदेश को यथावत रखा गया । निगरानीकर्तागण द्वारा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण न हटाये जाने के कारण तहसीलदार जतारा द्वारा 29–9–2004 को प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, जतारा को भेजा गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि बेदखल करने के बावजूद निगरानीकर्तागण कब्जा छोडने को तैयार नहीं है तथा शांती भंग करने पर आमादा है । संहिता की धारा 248 की उपधारा 2ए के तहत निगरानीकर्तागण को सिविल जेल भेजने की कार्यवाही की जावे । अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा दिनांक 21–6–2005 को 15 दिवस के लिये सिविल जेल भेजे जाने का आदेश दिया गया है । प्रकरण में निगरानीकर्तागण के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में एक भी ऐसा दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर निगरानी ममो में उठाये गये बिन्दुओं का बल प्राप्त होता हो । इस प्रकार से अपर आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी, जतारा तथा

तहसीलदार, जतारा द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं पाता हूँ ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा जाता हैं और निगरानीकर्तागण द्वारा साक्ष्य के अभाव में प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर